

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 195 /2019

इण्डिया शेल्टर फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लि० जरिये प्राधिकृत अधिकारी,
शाखा कार्यालय तीसरी मंजिल, केनरा बैंक के ऊपर, आईडीबीआई बैंक के पास, डाक
बांग्ला के सामने, अजमेर रोड, मदनगंज, अजमेर-305801
पंजिकृत कार्यालय- प्लॉट नं. 15, 6th फ्लोर, इंस्टीटूशनल एरिया, सैक्टर-44, गुरुग्राम,
हरियाणा-122002

.....प्रार्थी

बनाम

- (1) श्रीमती पांची देवी पत्नि श्री श्योजी राम,
निवासी:- 18, गुर्जरो की ढाणी, भोजियावास, किशनगढ,
जिला अजमेर-305816(राज.)
- (2) श्री महावीर पुत्र श्री श्योजी राम,
निवासी:- 18, गुर्जरो की ढाणी, भोजियावास, किशनगढ,
जिला अजमेर-305816(राज.)
- (3) श्री विश्राम लाल पुत्र श्री श्योजी राम,
निवासी:- 18, गुर्जरो की ढाणी, भोजियावास, किशनगढ,
जिला अजमेर-305816(राज.)
- (4) श्री नन्दा राम पुत्र श्री श्योजी राम,
निवासी:- 18, गुर्जरो की ढाणी, भोजियावास, किशनगढ,
जिला अजमेर-305816(राज.)

.....अप्रार्थीगण (ऋणी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्रक्शन
आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ
सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :-

श्री एस.के व्यास

अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक 14.11.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी ने
अप्रार्थीगण 1 से 4 श्रीमती पांची देवी पत्नि श्री श्योजी राम एवं श्री महावीर पुत्र श्री श्योजी
राम व अन्य निवासी:- 18, गुर्जरो की धाणी, भोजियावास, किशनगढ, जिला
अजमेर-305816(राज.) को दिनांक 17.02.2018 को रुपये 4,00,000/- (अक्षरे चार लाख)
की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण/ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात
निष्पादित कर ग्राम पंचायत तिलोनिया, पंचायत समिति किशनगढ, तहसील किशनगढ,
जिला अजमेर (राज.) में स्थित खसरा नं० 161 में रिहायसी अचल सम्पत्ति, क्षेत्रफल 275
वर्गगज, जिसका पट्टा नं० 19, है जो श्रीमती पांची देवी पत्नि श्री श्योजी गुर्जर के नाम
से है, को बतौर जमानत प्रार्थी कम्पनी के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप
से प्रार्थी कम्पनी को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान
में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 30.04.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी कम्पनी
द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण/ऋणी को दिनांक 15.05.2019
को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रुपये 3,86,487/- (अक्षरे तीन लाख छियासी हजार चार सौ
सत्यासी रुपये) का जारी किया गया। इसका प्रकाशन दो समाचार पत्र इकोनोमिक्स



Sharma

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

टाईम्स (अंग्रेजी) तथा विराट वैभव (हिन्दी) में भी दिनांक 13.9.2019 को प्रकाशित करवाया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी कम्पनी को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी कम्पनी को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पत्ति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी कम्पनी को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में बंधक रिहायसी सम्पत्ति ग्राम पंचायत तिलोनिया, पंचायत समिति किशनगढ, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर (राज.) में स्थित खसरा नं० 161 में रिहायसी अचल सम्पत्ति, क्षेत्रफल 275 वर्गगज, जिसका पट्टा नं० 19, है जो श्रीमती पांची देवी पत्नि श्री श्योजी गुर्जर के नाम से है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित कम्पनी द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी कम्पनी, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्त कायदा जारी हो। आदेश आज दिनांक 14.11.2019 को सुनाया गया।



Sharma
(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर